ग्राम पंचायत भरमौर, विकास खण्ड भरमौर, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 04/2022 से 03/2024

भाग-एक

1 प्रस्तावना

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफ़ारिशों के फ़लस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम-1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप-सचिव पंचायती राज विभाग के संशोधन पत्र संख्या पीसीएच-एचसी(5)-सी(15)एलएडी/2006-12669 दिनांक-07-04-2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व हिमाचल प्रदेश, राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत भरमौर, विकास खण्ड भरमौर, जिला चम्बा के अवधि 04/2022 से 03/2024 के लेखों का अंकेक्षण कार्य विभाग द्वारा निष्पादित किया गया।

अंकेक्षण अवधि 01-04-2022 से 31-03-2024 तक के दौरान ग्राम पचांयत भरमौर में निम्नलिखित प्रधान एवं सचिव कार्यरत रहे :-

प्रधान

क्रम संख्या	पदाधिकारी का नाम	अवधि
1.	श्री अनिल कुमार	01-04-2022 से 31-03-2024

सचिव

क्रम संख्या	सचिव का नाम	अवधि
1.	श्री दीपक कुमार	01-04-2022 से 31-03-2024

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार

ग्राम पंचायत भरमौर, विकास खण्ड भरमौर, जिला चम्बा के अवधि 04/2022 से 03/2024 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर

-76-

अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है। जोकि उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ आगामी आवश्यक कार्रवाई हेतु विशेष रूप से लाई जाती है।

क्र० स०	गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	पैरा संख्या	राशि (₹ लाखों में
01.	ग्राम पंचायत द्वारा आयोजित स्थानीय जातर मेले के दौरान अस्थाई स्टॉलो/दुकानों की आबंटन में पाई गई वित्तीय व अन्य विविध अनियमिततायें	7.1	-----
02.	पंचायत राजस्व गृहकर एवं विवाह पंजीकरण शुल्क इत्यादि का वसूली/जमा न किये जाने बारे।	7.2 7.3 (क, ख)	1.18
03.	आपूर्तिकर्ताओं से बिना W, X फॉर्म प्राप्त किये अनियमित भुगतान के कारण सरकार को रॉयल्टी के तौर राजस्व की वित्तीय हानि।	8.2	11.64 0.45
04.	प्रॉपर/टैक्स बिलों पर भुगतान न करने के कारण सरकारी राजकोष को वस्तु एवं सेवाकर (GST) की सम्भावित वित्तीय हानि।	8.3	0.55
05.	ठेकेदारों/संविदाकारों से टी०डी०एस० की कटौती न करने के कारण सरकारी राजकोष को वित्तीय हानि बारे।	8.4	0.40
06.	पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा संदिग्ध/अनुचित आहरण व नकद भुगतान।	9.1	9
07.	अनुमोदित फर्म/दरों से अधिक दर से भुगतान के कारण अधिक भुगतान।	9.2	0.20
08.	पंचायत द्वारा क्रय स्टोर/स्टॉक की औपचारिकताओं (Codal Formalities) में पाई गई विविध अनियमितताओं बारे।	9.4	9.17
09.	निर्माण कार्यों की माप पुस्तिकाओं में गलत गणना के कारण	9.5	0.09

	अधिक भुगतान व बची शेष सामग्री का संभावित दुर्विनियोजन	9.6	
10.	क्रय स्टोर/स्टॉक का इन्द्राज स्टॉक रजिस्टर में न करना एवं संयुक्त हस्ताक्षर के बिना ही अनियमित भुगतान।	9.9 9.10	9.17

(ग) गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

हि० प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा ग्राम पंचायत भरमौर का अंकेक्षण, अवधि 04/2018 से 03/2021 के लिये किया गया था जिसमें सम्मिलित अनिर्णीत पैरों के समायोजन बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या SAD/CBA/2024/02 दिनांक 01-08-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा बताया गया कि, गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरों पर कार्रवाई करके विभाग को बाद में सूचित कर दिया जायेगा। उत्तर संतोषजनक नहीं है। गत अंकेक्षण पैरों पर कोई भी कार्रवाई न करना न केवल नियमों के प्रतिकूल है, अपितु इससे अंकेक्षण का प्रयोजन ही निष्फल हो जाता है यह गम्भीर प्रकरण उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष तौर से लाया जाता है। विगत अंकेक्षण प्रतिवेदन में शामिल पैरों पर शीघ्र ही कार्रवाई की जानी सुनिश्चित की जाये। वर्तमान अंकेक्षण उपरान्त अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरों की स्थिति निम्न प्रकार से है :-

1. अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2018 से 03/2021 तक

क्रम संख्या	पैरा संख्या	पैरा स्थिति	टिप्पणी
1.	3	अनिर्णीत	-
2.	4	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण में पुनः प्रारूपित।
3.	4.1 व 4.2	अनिर्णीत	-
4.	5	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण में पुनः प्रारूपित।
5.	6	अनिर्णीत	-
6.	7 (क,ख,ग)	अनिर्णीत	-
7.	8	अनिर्णीत	-
8.	9	अनिर्णीत	-

9.	10	अनिर्णीत	-
10.	10.1	अनिर्णीत	-
11.	10.2	अनिर्णीत	-
11.	11	अनिर्णीत	-
12.	12	अनिर्णीत	-
13.	13	अनिर्णीत	-
14.	14	अनिर्णीत	-
15.	15	अनिर्णीत	-
16	16	अनिर्णीत	-
17.	17	अनिर्णीत	-
18.	18	अनिर्णीत	-
19.	19	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण में पुनः प्रारूपित।
20.	20	अनिर्णीत	-

भाग- दो

2 वर्तमान अंकेक्षण

ग्राम पंचायत भरमौर, विकास खण्ड भरमौर, जिला चम्बा के अवधि 04/2022 से 03/2024 के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण श्री पवन कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 01-08-2024 से 13-08-2024 तक ग्राम पंचायत भरमौर के कार्यालय में किया गया। वर्तमान निधि लेखों की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए निम्न मासों का चयन किया गया। जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	आय चयनित माह	व्यय चयनित माह
1.	2022-2023	08/2022	09/2022
2.	2023-2024	08/2023	09/2023

अस्वीकरण:- वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियंत्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है । उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क

ग्राम पंचायत भरमौर, विकास खण्ड भरमौर, जिला चम्बा के अवधि 04/2022 से 03/2024 तक के लेखों के अंकेक्षण हेतु शुल्क ₹5600/- आँका गया है। अंकेक्षण शुल्क की उक्त राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से राजकीय कोष में जमा करवाने हेतु निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला-09 को प्रेषित करने हेतु पंचायत सचिव से अंकेक्षण अधियाचना संख्या SAD/CBA/2024/12 दिनांक 13-08-2024 द्वारा अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थिति

ग्राम पंचायत भरमौर द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 04/2022 से 03/2024 के लेखों की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी :-

4 **(अ) स्व:-स्त्रोत व अनुदान** ग्राम पंचायत भरमौर के अवधि 04/2022 से 03/2024 तक स्व:-स्त्रोतों व अनुदान की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है। जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट-1 व 2** में भी दिया गया है:

1. स्व:-स्त्रोत

वित्तीय वर्ष	अथ शेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अंतिम शेष
2022-23	1282804.00	5829166.00	7111970.00	5396811.00	1715159.00
2023-24	1715159.00	6551552.00	8266711.00	6561682.00	1705029.00

2. अनुदान

वित्तीय वर्ष	अथ शेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अंतिम शेष
20222023	9843777.96	7437379.41	17281157.37	7308965.41	9972191.96
20232024	9972191.96	5317945.38	15290137.34	7080180.38	8209956.96

कुल योग (1+2) **₹1705029.00 + ₹8209956.96 = ₹9914985.96**

(ब) ग्राम पचांयत भरमौर, का दिनांक 31/03/2024 को बैंक खातों में अन्तशेष विवरण I

क्र०स०	अनुदान का नाम	खाता संख्या	बैंक का नाम	राशि 31-03-2024
1.	15^{th} FC	50100313554478	HDFC Bharmour	**4532959.00**
2.	14^{th} FC	17810111851	HPSCB Bharmour	**27686.00**
3.	General Head	17810103212	HPSCB Bharmour	**331059.96**
4.	General Head	50100308349657	HDFC Bharmour	**4152483.00**
			Cash In hand	**24.00**
			TOTAL	**₹9044211.96**

अन्तर (अ-ब) ₹9914985.96 - ₹9044211.96 = ₹870774.00

5.1 बैंक समाधान विवरणी तैयार न करने के कारण रोकड़ बहियों व बैंक खातों के अन्तशेष में राशि ₹8.71 लाख का भारी अन्तर I

अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, ग्राम पंचायत भरमौर, द्वारा हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम **7(3) व 10(1)** की अनुपालना में मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की है I जिस कारण वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अंत में दिनांक 31-03-2024 को रोकड़ बही तथा

बैंक खातों के अन्तशेष में राशि ₹870774 का अन्तर बैंक पासबुक में कम शेष के रूप में है। जिसका विस्तृत ब्यौरा पैरा संख्या 4 में दिया गया है।

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-11 दिनांक 07-08-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया कि, भविष्य में बैंक समाधान विवरणी मासिक आधार पर तैयार की जाएगी एवं वर्तमान अंतर का मिलान करके लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवा दिया जायेगा।

अत: भविष्य में नियमानुसार प्रत्येक माह बैंक समाधान विवरणी तैयार करके बैंक एवं रोकड़ बही का मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा वर्तमान में अन्तर का अति शीघ्र मिलान भी किया जाये तथा अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

6.1 विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों की राशि ₹82.10 लाख का अवरोधन :-

पंचायत द्वारा **परिशिष्ट 1 व 2** पर अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31-03-2024 तक अनुदान से प्राप्त अनुदान राशियों में से ₹8209956.96 की राशि (रोकड़ बही के अनुसार) उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था। जबकि पंचायत द्वारा अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ-साथ सरकारी योजनाओ से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा है। यह अनियमितिता सम्बन्धित पंचायत के कर्मचारियों व पंचायत प्रतिनिधियों के अकुशल वित्तीय प्रबन्धन को भी इंगित करता है।

इस राशि के उपयोग/व्यय न करने बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या-11 दिनांक 07-08-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त स्पष्ट किया कि, भविष्य में प्राप्त अनुदान को समय पर खर्च किया जायेगा। अत: अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके

उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये एवं कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

7.1 ग्राम पंचायत द्वारा आयोजित स्थानीय जातर मेले के दौरान अस्थाई स्टॉलो/दुकानों के आवंटन में पाई गई वित्तीय व अन्य विविध अनियमितताओं बारे।

ग्राम पंचायत भरमौर के चयनित माह के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा हर वर्ष चौरासी परिसर में स्थानीय जातर मेले का आयोजन किया जाता है जिसके दौरान पंचायत की ओर से अस्थाई स्टाल लगाकर उनका आबंटन बोली लगाकर दुकानदारों को किया जाता है जोकि पंचायत के राजस्व का सबसे बड़ा स्त्रोत है। पंचायत के अंकेक्षण में पाया गया कि जातर मेले के दौरान अस्थाई स्टालों/दुकानों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कई अनियमिततायें पाई गई जोकि आपत्तिजनक व संदिग्ध प्रतीत होती है।

1. पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर के प्रस्ताव संख्या 08 दिनांक 16-07-2022 की शर्त 3 के अनुसार बोली की राशि नकद में ली जाएगी जोकि न केवल नियमानुसार अनुचित है अपितु इससे किसी प्रकार के दुर्विनियोजन की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

2. आगे अंकेक्षण अवलोकन में यह पाया गया कि चार अस्थाई दुकानें संख्या 71,72,73 व 74 जिनकी न्यूनतम बोली प्रति दुकान 30000 रखी गई थी का न तो किसी को आबंटन दर्शाया गया और न ही इससे प्राप्त राशि को रोकड़ बही में जमा करवाया गया है जोकि संदिग्ध प्रतीत होता है।

3. अंकेक्षण अवधि के दौरान यह पाया गया कि पंचायत द्वारा अस्थाई स्टालों से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं करवाया गया है जिससे कि यह ज्ञात हो सके कि, किसी दुकान/स्टाल विशेष हेतु किस बोलीदाता द्वारा कितनी राशि की बोली लगाई गई। जिसके अभाव में बोली राशि की सत्यता की पुष्टि अंकेक्षण में नहीं की जा सकी इसके अतिरिक्त उक्त अभिलेख के अभाव में लगाई गई बोली की संदिग्ध

परिस्थितियों व किसी व्यक्ति विशेष को लाभ पहुँचाने की स्थिति से भी इन्कार नहीं किया जा सकता।

4. हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 100(3)(i) के अनुसार ग्राम पंचायत मेले में दुकानदारों से तहबाजारी की दरें निर्धारित करने हेतु सक्षम है जबकि अंकेक्षण अवलोकन में यह पाया गया कि पंचायत द्वारा रेहड़ी-फड़ी वालों से बिना किसी अनुमोदित/निर्धारित दर से न करके अलग-अलग राशि यथा 500/700 व 2000 की वसूली की गई थी जिससे रेहड़ी-फड़ी वालों से प्राप्त कुल आय की सत्यता की पुष्टि अंकेक्षण दौरान नहीं की जा सकी।

इस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 07 दिनांक 06-08-2024 द्वारा पंचायत सचिव को उक्त (1 से 4) गम्भीर अनियमितताओं के सम्बन्ध में अपना पक्ष रखने को कहा गया जिसका कोई भी उत्तर अंकेक्षण समाप्ति तक पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया जोकि संदिग्ध प्रतीत होता है । अत: उक्त अनियमितताओं को ठोस तथ्यों सहित न्यायोचित ठहराते हुए अपना स्पष्टीकरण शीघ्र ही अनुवर्तन रिपोर्ट के साथ प्रेषित करें अन्यथा उक्त तथ्यों के दृष्टिगत पाई गई अनियमितताओं के सम्बन्ध में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर तथा क्रमांक 2 में दर्शाई गई स्टालों की राशि की प्रतिपूर्ति करके शीघ्र खाते में जमा करवाई जानी सुनिश्चित करें और अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाना सुनिश्चित करें।

7.2 पंचायत राजस्व, गृहकर की बकाया राशि ₹1.06 लाख की वसूली न करने बारे:-

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 33 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार ग्राम पंचायत सचिव का दायित्व है कि, समस्त राजस्व को नियमित व अविलम्ब वसूलने व सम्बधित ग्राम पंचायत के खातों में समय पर जमा करवाना सुनिश्चित करें। हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 114 में प्रावधान है कि कोई व्यक्ति किसी कर, शुल्क, दर राशि का भुगतान नहीं करता तो वह जुर्माने के साथ दण्ड का भागीदार होगा।

ग्राम पंचायत भरमौर के अंकेक्षण में पाया गया कि, पंचायत सचिव द्वारा सम्पति कर (गृहकर) रजिस्टर को संधारित नहीं किया गया था। जिस कारण सम्पति कर की वार्षिक मांग व गत शेष बारे पुष्टि नहीं हो सकी। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत द्वारा धारा 114 के अनुरूप गृहकर का समय पर भुगतान न करने के लिए चुककर्ताओं पर दण्ड लगाने हेतु भी कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। पंचायत द्वारा पंजीकृत परिवारों के आधार पर उपलब्ध करवाए गए अभिलेखानुसार निम्न ₹105750 की राशि वसूली हेतु शेष थी।

वित्तीय-वर्ष	गत शेष	कुल परिवार	दर	वर्ष के दौरान मांग	कुल मांग	कुल प्राप्त राशी	वकाया राशी
2022-23	78470	675	20	13500	91970	00	91970
2023-24	91970	689	20	13780	105750	00	105750

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-12 दिनांक 12-08-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त सूचित किया कि, पंचायत राजस्व की वसूली समय पर की जाएगी। उत्तर ग्राम पंचायत द्वारा अप्रभावी निगरानी का द्योतक है जिसके परिणाम स्वरूप राजस्व का गैर संग्रहण/हानि हो सकती है। अतः सम्पति/गृहकर की बकाया राशि की शीघ्रातिशीघ्र वसूली करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7.3 विवाह पंजीकरण शुल्क की कम वसूली व वसूली न करने के कारण तथा वसूली गई राशि को सरकारी राजकोष में जमा न करने से हुई वित्तीय हानि बारे :-

हिमाचल प्रदेश विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1996 की धारा 22 एवं हि०प्र० सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण विभाग की अधिसूचना संख्या WLF-A(3)-1/97, दिनांक 17-12-2004 व SJE-A-A(3)-1/2015 दिनांक 04-10-2016 एवं पंचायती राज विभाग द्वारा जारी पत्र संख्या PCH-HA(1)8/2013-Marrige-8107-10 दिनांक 28-10-2016 के अनुसार विवाह पंजीकरण के शुल्क की वसूली करने उपरान्त वसूली

गई राशि को सरकारी राजकोष के प्राप्ति शीर्षक खाता संख्या "0235-00-800-03" में विवाह रजिस्ट्रार द्वारा जमा की जानी अपेक्षित है।

(क) वसूली गई राशि को सरकारी राजकोष में जमा न करना : अभिलेखों के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि, उक्त पंचायत सचिव द्वारा संलग्न परिशिष्ट 8 के अनुसार विवाह पंजीकरण शुल्क के तौर पर वसूली गई राशि ₹7600/- को सरकारी राजकोष में जमा नहीं करवाया गया था अपितु इसे पंचायत के सभा निधि के बैंक खाते में रखा गया है जोकि उक्त नियमानुसार अनुचित है।

(ख) विवाह पंजीकरण उपरान्त अपेक्षित शुल्क और विलम्ब शुल्क की वसूली न करना:-

पंचायत अभिलेखों के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा विवाह पंजीकरण उपरान्त अपेक्षित शुल्क की वसूली नहीं की गई तथा कुछ मामलों में कम या विलम्ब शुल्क की वसूली भी नहीं की गई, जिस कारण पंचायत को विवाह पंजीकरण शुल्क के तौर पर राशि ₹4300 की वित्तीय हानि हुई है, जिसका पूर्ण विवरण संलग्न **परिशिष्ट 8** में दिया गया है ।

इस सम्बन्ध में जारी अधियाचना संख्या-12 दिनांक 12-08-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा बताया गया कि, विवाह पंजीकरण शुल्क की वसूली उपरान्त उसे शीघ्र ही सरकारी राजकोष में जमा करवा दिया जायेगा। अत: उपरोक्त राशि ₹11900 (7600+4300) की वसूली करने उपरान्त सम्बन्धित खाते/कोष में जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाये तथा गत वर्षों में इस प्रकार से सरकारी राजकोष में जमा नहीं करवाई गई राशि को भी जमा करवाना सुनिश्चित किया जाये। भविष्य में इस प्रकार की गलती की पुनरावृत्ति न की जाये तथा अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवाया जाये।

8.1 राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका में पंचायत द्वारा चल-अचल सम्पतियों को दर्ज न करना

पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वाधान में वर्ष 2010-11 में पंचायत मिशन प्रोजेक्ट प्रारम्भ की गई थी। इस योजना के अंतर्गत विभिन्न एप्लिकेशन्स हैं जिनसे पंचायत की दैनिक कार्रवाई जैसे कि, पंचायत द्वारा की गई सेवाओं, सामान के खरीद, भुगतान एवं पंचायत की सभी चल-अचल सम्पतियों का (उनके वास्तविक मूल्य पर) इन्द्राज करना अनिवार्य है।

ग्राम पंचायत भरमौर के नमूना अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका में अर्जित सभी चल-अचल सम्पतियों एवं किये गए कार्यों को इन्द्राज/दर्ज नहीं किया गया था। जबकि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि तक कई कार्यों को पूर्ण किया गया था। लेकिन पंचायत द्वारा कोई भी कार्य उक्त एप्लीकेशन में नहीं किया जा रहा है जोकि पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की पूर्णतया अवहेलना है। इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-11 दिनांक 07-08-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया कि, पंचायत की सभी चल-अचल सम्पतियों का इन्द्राज राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका एप्लीकेशन में कर दिया जायेगा। अतः मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाये।

8.2 आपूर्तिकर्ताओं से बिना W, X फॉर्म के राशि ₹11.64 लाख के अनियमित भुगतान के कारण सरकार को रॉयल्टी के तौर पर ₹0.45 लाख के राजस्व की वित्तीय हानि।

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स नियम 2015 के नियम 81 व 81-ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांजिट पास (फॉर्म-W) या सप्लीमेंट्री ट्रांजिट पास (फॉर्म-X) का उपलब्ध करवाना अनिवार्य है अन्यथा उक्त नियम की द्वितीय अनुसूची अनुसार रॉयल्टी का भुगतान पेनल्टी सहित किया जाना अपेक्षित है।

परन्तु ग्राम पंचायत भरमौर, के अभिलेखों के नमूना अंकेक्षण एवं पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के आधार पर पाया गया कि पंचायत द्वारा उक्त नियमों एवं आदेशों की पूर्णतः अवहेलना की जा रही है। पंचायत द्वारा ठेकेदारों से अन्नापति प्रमाण पत्र/W,X-फॉर्म लिए बिना ही रेत,बजरी व पत्थर इत्यादि की आपूर्ति ली गई है। जिसके परिणामस्वरूप बिना W,X-फॉर्म लिए बिना जहाँ आपूर्तिकर्ताओं को राशि ₹1164434 का अनियमित भुगतान किया गया वही पर उक्त राशि पर सरकार को राशि ₹44566/- (जिसका पूर्ण विवरण संलग्न परिशिष्ट "4" में दिया गया है।) की रॉयल्टी की वित्तीय हानि भी हुई है।

इस गम्भीर अनियमितिता बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 04 दिनांक 06-08-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि के उपरान्त कहा गया कि, नियमों की जानकारी न होने के अभाव में आपूर्तिकर्ताओं से रॉयल्टी की न तो कटौती की गई और न ही W,X फॉर्म लिए गए लेकिन इस सम्बन्ध में शीघ्र ही नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर विभाग को यथाशीघ्र अवगत करवा दिया जायेगा। उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि उक्त फॉर्म उपरान्त ही क्रय किया जाना अपेक्षित था।

अतः उक्त प्रकरण से न केवल सरकारी राजस्व का वित्तीय रिसाव हो रहा है अपितु इससे अवैध खनन की सम्भावना को भी नहीं नकारा जा सकता। यह एक गम्भीर अनियमितिता है जो उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष रूप से लाई जाती है। अतः इस अनिमितिता को न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा उद्योग विभाग के नियमों के अंतर्गत कार्रवाई की जानी सुनिश्चित की जाये एवं कृत कार्रवाई/अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को यथाशीघ्र अवगत करवाया जाये।

8.3 प्रॉपर/टैक्स बिलों पर भुगतान न करने के कारण सरकारी राजकोष को वस्तु एवं सेवाकर (GST) के तौर पर राशि ₹0.55 लाख की सम्भावित वित्तीय हानि बारे :-

केंद्रीय वस्तु एवं सेवाकर अधिनियम 2017 के प्रावधानों के अनुसार रेत, बजरी एवं पत्थर इत्यादि पर 5% की दर से GST का भुगतान किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत भरमौर के अभिलेखों के नमूना अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं से रेत, बजरी व पत्थर इत्यादि की खरीद गई थी एवं पंचायत द्वारा इन्हें राशि ₹1164434/- भुगतान (जिसका पूर्ण विवरण संलग्न परिशिष्ट "4" में दिया गया है।) किया गया था परन्तु उक्त क्रय सामग्री के अधिकतर आपूर्तिकर्ता GST पंजीकृत नहीं है। फर्मों द्वारा पंचायत को प्रस्तुत बिल प्रॉपर/टैक्स बिल/कम्प्यूटर जनरेटेड न होकर केवल सादे कागज,रसीद,कैश मीमो व परफोर्मा बिल ही हैं जिससे इन बिलों की सत्यता एवं प्रमाणिकता की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी। यह न केवल अनुचित प्रक्रिया है अपितु एक प्रॉपर/टैक्स बिल के अभाव में सरकार को देय वस्तु व सेवा कर (GST) के तौर पर लगभग राशि ₹55449.24 की सम्भावित वित्तीय हानि भी हुई है।

उक्त गम्भीर प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 03 दिनांक 06-08-2024 द्वारा सचिव के ध्यानार्थ वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया जिसके प्रत्युतर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि के उपरान्त पत्र द्वारा सूचित कि, उक्त आपूर्तिकर्ताओं द्वारा पंचायत को केवल सादे कागज,रसीद,कैश मीमो व कुच्छ परफोर्मा बिल ही प्रस्तुत किया गए हैं यदापि पंचायत द्वारा इन बिलों पर भुगतान GST सहित किया गया है परन्तु इस सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी न होने के कारण यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि वास्तव में GST को सरकारी राजकोष में जमा करवाया गया है या नहीं इस मामले की पंचायत स्तर पर छानबीन करके कृत कार्रवाई से शीघ्र ही

अंकेक्षण विभाग को अवगत करवा दिया जायेगा एवं भविष्य में टैक्स बिलों पर ही भुगतान किया जायेगा।

अत: उक्त प्रकरण को तथ्यों सहित न्यायोचित ठहराया जाये एवं उक्त आपूर्तिकर्ताओं द्वारा यदि कोई उक्त बिलों के सम्बन्ध में कर भुगतान किया गया हो तो उनका साक्ष्य अनुवर्तन रिपोर्ट के साथ अंकेक्षण विभाग को शीघ्र प्रेषित किया जाये अन्यथा नियमाविरुद्ध किये गए भुगतानों पर देय कर की पूर्ण गणना उपरान्त उक्त राशि की उचित स्त्रोत से वसूली करके सम्बन्धित खाते/कोष में जमा करवाई जाये एवं कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को भी अवगत करवाया जाये। यह गम्भीर प्रकरण उच्चाधिकारियों के समक्ष इस आशय से लाया जाता है कि ऐसे प्रकरणों की गहन जांच की नितांत आवशयकता है ताकि किसी भी प्रकार से कर-अदेयता के मामलों की सम्भावना को पूर्णत: नकारा जा सके।

8.4 सेवा प्रदाताओं/संविदाकारों से टी०डी०एस० की कटौती न करने के कारण सरकार को राशि ₹0.40 लाख की वित्तीय हानि बारे।

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194(C) व 194 (J) के अनुसार आहरण व संवितरण अधिकारी द्वारा भुगतान करने से पूर्व TDS की कटौती करना एवं उसे सरकारी कोष में समयबन्ध तिथि को जमा करवाना अनिवार्य है।

ग्राम पंचायत भरमौर के अभिलेखों के नमूना अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान संलग्न परिशिष्ट "6" के अनुसार राशि ₹1563510/- का भुगतान किया गया। परन्तु उक्त भुगतान करते समय स्त्रोत पर कर कटौती (TDS) नहीं की गई थी। जोकि न केवल आयकर अधिनियम के उपरोक्त प्रावधानों की अवहेलना है अपितु इसके फलस्वरूप सरकारी राजस्व में राशि ₹39830.20/- (2%) की वित्तीय हानि आहरण व संवितरण अधिकारी के कारण हुई है।

इस अनियमितिता के सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-09 दिनांक 06-08-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि के उपरान्त कहा गया कि, टी.डी.एस.के सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी न होने के अभाव में

इसकी कटौती नहीं की गई परन्तु इस सम्बन्ध में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उत्तर संतोषजनक नहीं है।

अत: आहरण व संवितरण अधिकारी द्वारा उक्त प्रकरण में टी.डी.एस की कटौती किये बिना किये गये भुगतानों को न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा आयकर अधिनियमों के तहत आहरण व संवितरण अधिकारी से उक्त राशि की वसूली व्याज सहित करके तुरंत सरकारी राजकोष में जमा करवाया जाये इसके अतिरिक्त इस प्रकार के अन्य मामलों में अपने स्तर पर गणना करके राशि को जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को भी अवगत करवाया जाये।

9.1 पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा राशि ₹9 लाख का संदिग्ध/अनुचित आहरण व भुगतान।

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम **17(2)** के अनुसार एवं प्रधान सचिव वित्त हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या Fin.(C)A(3)-5/2004 के अनुसार राशि ₹10000 तक क्रॉस चैक एवं उससे ऊपर के समस्त भुगतान RTGS/NEFT के माध्यम से किये जाने अपेक्षित हैं।

ग्राम पंचायत के नमूना अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा निम्नविवरणनुसार जातर मेले (स्व-स्त्रोत) से राशि ₹900000 का आहरण चैक के माध्यम से स्वयं किया गया तथा बताया गया कि जो राशि ₹176500 रेहड़ी-फड़ी वालों से नकद तौर पर एकत्रित की गई थी इसका वितरण नकद तौर पर मेले के दौरान आयोजित दंगल पहलवानों को किया गया यदापि पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा निधि से चैक द्वारा राशि का स्वयं आहरण करना एवं रेहड़ी-फड़ी वालों से एकत्रित राशि को बिना रोकड़बही में दर्ज किये व जमा किये बिना, वितरण किया जाना न केवल नियमानुसार अनुचित है अपितु इससे यह भी सत्यापित नहीं किया जा सका कि वास्तव में उनसे कितनी राशि एकत्रित हुई थी।

वाउचर संख्या/ दिनांक	आहरणकर्ता का विवरण	आहरित राशि	रोकड़ बही अनुसार वितरित राशि	प्राप्तकर्ता रोकड़बही अनुसार
05/26-08-2022	सचिव श्री दीपक कुमार चैक संख्या 0058	400000	470200	दंगल पहलवानों को नकद वितरित
08/14-09-2023	प्रधान श्री अनिल कुमार चैक संख्या 0068	500000	606300	दंगल पहलवानों को नकद वितरित
	कुल योग	**₹900000**	**₹1076500**	

उक्त गम्भीर अनियमितता के सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 06 दिनांक 06-08-2024 के प्रत्युत्तर में तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त सूचित किया कि, उक्त राशि का आहरण करके मेले में आयोजित कुश्ती प्रतियोगिता में पहलवानों को नकद वितरित की गई है भविष्य में यह नकद न बांटकर खाते में हस्तांतरित की जाएगी। अत: उक्त मामले में सचिव व प्रधान द्वारा राशि का आहरण उनका बिना किसी वितरण सूची के नकद वितरण दर्शाना, रेहड़ी-फड़ी से प्राप्त आय को बिना जमा करवाए तथा बिना रोकड़बही में दर्ज किये वितरण करना नियमों की अवहेलना के साथ-साथ अनुचित व संदिग्ध प्रतीत होता है अत: उक्त व्यय व प्रक्रिया को ठोस तथ्यों व अभिलेखों सहित न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा राशि की प्रतिपूर्ति करके शीघ्र ही खाते में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

9.2 अनुमोदित फर्म व दर से क्रय न करने के कारण राशि ₹0.20 लाख का अधिक भुगतान।

हि०प्र० पंचायती राज ((वित्त, बजट, लेखे, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के **चैप्टर- 9 नियम 76** के अनुसार सम्बन्ध पंचायत का सचिव यदि कोई पंचायत निधि से किये गए अति संदाय/अधिक भुगतान, चाहे सदभाव से किया गया है, की तत्पर वसूली करने का जिम्मेदार होगा।

ग्राम पंचायत के नमूना अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा मनरेगा अनुदान के अंतर्गत निम्नविवरणनुसार फर्मों की कुटेशन व तुलनात्मक विवरण अनुसार इन्टरलॉक टाइल्स हेतु हि०प्र० खादी बोर्ड की दर ₹25.50/टाइल्स को अनुमोदित किया गया था परन्तु क्रय मैं०मदन लाल से 28/टाइल्स की दर से किया गया यद्यपि उक्त फर्म द्वारा ₹26/टाइल्स की दर से कुटेशन दी गई थी। इस प्रकार अनुमोदित फर्म व दर से क्रय न करने की कारण राशि ₹19800 का अधिक भुगतान किया गया जोकि अनुचित है।

Supplier Detail	Vr. No & Date	Material & Quantity	Expected Payment	Actual Payment	Excess payment
1.	2.	3.	4.	5.	6. (5-4)
M/S Madan Lal,Badgran	Nil/ 22-05-22	InterlockTiles 60mm 7920no.	201960 (7920x25.5)	221760 (7920x28)	19800 (77800-66000)
	Total	**7920 Nos**	**₹201960**	**₹221760**	**₹19800**

अंकेक्षण अधियाचना संख्या-06 दिनांक 06-08-2024 द्वारा उक्त प्रकरण सचिव के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त कहा गया कि, किये गए अधिक भुगतान की प्रतिपूर्ति करके सम्बंधित खाते में जमा करवा दिया जायेगा।

अत: उक्त अधिक भुगतान की नियमानुसार सम्बंधित कर्मचारी से प्रतिपूर्ति करके सम्बन्धित खाते में जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाये एवं इस प्रकार के अन्य प्रकरणों की भी विभागीय स्तर पर जांच की जाये ताकि किसी भी प्रकार से अधिक/अनुचित भुगतान की सम्भावना को पूर्णत: नकारा जा सके। अनुपालना लेखा परीक्षा में वांछित है।

9.3 बिना प्रॉपर/टैक्स बिलों के राशि ₹18.15 लाख के स्टोर/स्टॉक का अनियमित भुगतान :-

ग्राम पंचायत भरमौर के नमूना अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा संलग्न **परिशिष्ट "7"** के अनुसार राशि ₹1814693 का भुगतान विभिन्न सामग्रियों के क्रय की एवज में किया गया परन्तु इन बिलों के अवलोकन में पाया गया यह बिल प्रॉपर/टैक्स बिल न होकर अभिस्वीकृति सहित सादे कागज पर रसीद मात्र, कैश मीमो तथा परफोर्मा बिल हैं इसके अतिरिक्त अधिकतर बिलों पर वेन्डर/आपूर्तिकर्ता का विवरण, GST/TIN संख्या, बिल क्रमांक इत्यादि अंकित नहीं है एवं बिलों पर दिनांक भी हस्तलिखित है एवं बिल संख्या पंचायत द्वारा बिलों पर स्वयं आवंटित की गई है। जिससे कि इनकी सत्यता एवं प्रमाणिकता की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी।

इस गम्भीर अनियमितता बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 06 दिनांक 06-08-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि कहा कि, अधिकतर आपूर्तिकर्ताओं द्वारा इस प्रकार के बिलों पर दावे किये गए हैं जिनका समय-समय पर पंचायत द्वारा भुगतान किया गया है भविष्य में प्रॉपर टैक्स बिलों एवं मान्य GST धारकों से ही क्रय किया जायेगा। प्रस्तुत उत्तर संतोषजनक नहीं है। उक्त अनियमितताओं एवं प्रस्तुत उत्तर के आधार पर उक्त व्यय संदिग्ध व अनियमित प्रतीत होता है अत: इस सम्बन्ध में अपना पक्ष ठोस तथ्यों व अभिलेखों सहित यथाशीघ्र प्रस्तुत करते हुए उक्त किये गए व्यय को न्यायोचित ठहराया जाये तथा इसे अनुवर्तन रिपोर्ट के साथ शीघ्र ही प्रेषित किया जाये अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

9.4 राशि ₹9.17 लाख के क्रय स्टोर/स्टॉक की औपचारिकताओं (Codal Formalities) में पाई गई विविध अनियमितताओं बारे।

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सकंर्म, कराधान व भत्ते व नियमावली 2002 के नियम 67(4), 67(3a) 67(5), स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकतायें यथा निविदायें, कुटेशन (Quatations) आमंत्रित करना, उप-समिति का गठन करना इत्यादि प्रावधित है।

ग्राम पंचायत के नमूना/चयनित अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा राशि ₹916817 के स्टोर/स्टॉक का क्रय मनरेगा व स्व-स्त्रोत से किया गया (जिसका पूर्ण विवरण संलग्न **परिशिष्ट "3"** में दिया गया है।) परन्तु उक्त क्रय स्टोर/स्टॉक हेतु आमंत्रित कुटेशन व तुलनात्मक विवरण केवल प्रधान व सचिव द्वारा ही सत्यापित किया गया है जबकि नियमानुसार इसे पंचायत द्वारा गाठित उप-समिति के समस्त सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित/अनुमोदित किया जाना अपेक्षित था। इसके अतिरिक्त जातर मेले के दौरान स्टोर/स्टॉक के क्रय हेतु निविदायें आमंत्रित करने हेतु दो समाचार पत्रों में विज्ञापन भी दिए गए लेकिन यह विज्ञापन दिनांक 09-08-2022 को प्रकाशित किये गए एवं अगले दिन 10-08-2022 को सुबह 11 बजे तक निविदाएँ पंचायत कार्यालय में जमा करवाने हेतु सूचित किया इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2023-24 में भी दिनांक 21-08-2023 को विज्ञापन दिया गया तथा अगले दिन 22-08-2023 को दोहपर 2 बजे तक पंचायत कार्यालय में जमा करवाने हेतु सूचित किया गया। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि पंचायत द्वारा निविदाएँ आमंत्रित से (मूल उदेश्य) बाजारी प्रतिस्पर्धा का लाभ नहीं लिया गया जिससे केवल स्थानीय दुकानदार ही कुटेशन दे पाए जोकि न अनुचित व संदिग्ध प्रतीत होता है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या-05 दिनांक 06-08-2024 द्वारा उक्त प्रकरण सचिव के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त कहा गया कि, भविष्य में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जायेगी। प्रस्तुत उत्तर संतोषजनक नहीं है।

अत: उक्त अनियमिता को ठोस तथ्यों सहित न्यायोचित ठहराए जाये अथवा अनियमितिता की सक्षम अधिकारी से कार्योतर स्वीकृति लेकर इस व्यय को नियमित करवाया जाए अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाये तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए तदानुसार कृत कार्रवाई से लेखा परीक्षा विभाग को यथाशीघ्र अवगत करवाया जाये

9.5 निर्माण कार्यों की माप पुस्तिकाओं में गलत गणना के कारण राशि ₹4536 का अधिक भुगतान बारे।

हि०प्र० पंचायती राज ((वित्त, बजट, लेखें, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के **चैप्टर- 9 नियम 76** के अनुसार सम्बन्ध पंचायत का सचिव यदि कोई पंचायत निधि से किये गए अति संदाय/अधिक भुगतान, चाहे सदभाव से किया गया है, की तत्पर वसूली करने का जिम्मेदार होगा।

पंचायत के नमूना अंकेक्षण दौरान कार्यों की माप पुस्तिका में निम्नविवरणनुसार गलत गणना के कारण राशि ₹4536 का अधिक भुगतान किया गया।

Work : Pucca Path Hariya Ram House to Gaddi Head MGREGA MB No. 29884 Page 93							
Item No. & Nomni.	**Calculation As per MB**			**Calculation as per Audit**			**Overpayment due to wrong Cal.**
1.	**2.**			**3.**			**4. (2-3)**
	Qty.	Rate	Amonut	Qty.	Rate	Amonut	
4. Stone Collection	25m3	907.28	27218	25m3	907.28	22682	4536 (27218-22682)
Total Amount Overpaid Due to wrong Calcultaion							**₹4536**

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-08 दिनांक 06-08-2024 के प्रत्युत्तर में तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त कहा कि, गलत गणना के कारण राशि ₹4536 की प्रतिपूर्ति करके शीघ्र ही खाते में जमा करवा दी जायेगी। अत: उक्त मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर उक्त राशि की वसूली करके शीघ्र खाते में जमा करवा दी जाये एवं इस प्रकार के अन्य मामलों की विभागीय स्तर पर गहनता से जाँच की जानी सुनिश्चित की जाये अनुपालना लेखा परीक्षा में वांछित है।

9.6 निर्माण क्रय के दौरान बची हुई शेष सामाग्री राशि ₹4290 का सम्भावित दुरूपयोग

हि०प्र०पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के **चैप्टर-8 नियम 69 के अनुसार** सारा स्टोर (सामान) जब प्राप्त किया जाता है ,उसका यथास्थिति, परिक्षण, गणना, माप या तोल किया जायेगा और तुरंत स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्ट किया जायेगा।

ग्राम पंचायत के नमूना अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि, पंचायत कार्यों हेतु निम्नविवरणनुसार बजरी क्रय क्रय व उपयुक्त सामग्री में से शेष बची सामग्री 1.10m3 (1.10m3@3900) राशि ₹4290 का न तो स्टॉक में बकाया शेष दर्शाया गया और न ही इसकी आगे कोई खपत दिखाई गई। इसके अतिरिक्त मापन पुस्तिका को सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित भी नहीं किया गया था जो अनुचित व संदिग्ध प्रतीत होता है

B. Name of Work: Pucca Path Hariya Ram House to Gaddi Head MGREGA MB No. 29880 Page 18 & 25			
Item no. & Nomenclature	**Executed Qty.**	**Material Consumed**	**Material Balance**
3. P/L CC 1:3:6	14.98m3	Agg. 13.33m3	1.10m3@3900 (14.43m3-13.33m3)

अंकेक्षण अधियाचना संख्या-11 दिनांक 20-06-2024 द्वारा उक्त प्रकरण सचिव के ध्यानार्थ वस्तुगत स्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा बताया गया कि सामग्री की प्रतिपूर्ति करके सम्बन्धित खातों में जमा करवा दी जाएगी। अत: उक्त प्रकरण में शेष सामग्री की राशि की प्रतिपूर्ति सम्बंधित कर्मचारी से करके शीघ्र ही खाते में जमा करवाई जाये एवं अन्य ऐसे मामलों की विभागीय स्तर पर छानबीन उपरान्त अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाये तथा कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

9.7 माप पुस्तिकाओं में बिना लीड (दूरी) दर्शाए पत्थर ढुलाई पर राशि ₹0.23 लाख का अनियमित व्यय।

ग्राम पंचायत के नमूना अंकेक्षण के दौरान निर्माण कार्यों की माप पुस्तिकाओं के अवलोकन में पाया गया कि निम्नविवरणनुसार राशि 22862 का भुगतान कार्यरत लेबर को मद पत्थर ढुलाई हेतु किया गया है। लेकिन माप पुस्तिका में लेबर द्वारा पत्थर की ढुलाई की दूरी (लीड) दर्ज नहीं की गई है और न ही उक्त मद को सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित किया गया है जिससे कि उक्त मद के तहत किये गए भुगतान की सत्यता व प्रमाणिकता की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी।

B. Name of Work: Pucca Path Hariya Ram House to Gaddi Head MGREGA MB No. 29884 Page 93 MB No.29880 Page 18				
Item no. & Nomenclature	**Executed Qty.**	**Rate**	**Amount**	**Remrks**
5.Stone Carrige	15m3	744.47	11167	No lead shown in MB
5. Stone Carrige	15m3	779.64	11695	-----do-----------
Total	**30m3**		**₹22862**	

अंकेक्षण अधियाचना संख्या-08 दिनांक 06-08-2024 द्वारा उक्त प्रकरण पंचायत के ध्यानार्थ लाया गया। जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त कहा गया कि, भविष्य में माप पुस्तिकामें पूर्ण विवरण भरा जायेगा। उत्तर संतोषजनक नहीं है अत: उक्त अनियमित व्यय की सक्षम अधिकारी से स्वीकृति लेकर नियमित करवाया जाये अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाये अनुपालना लेखा परीक्षा में वांछित है।

-98-

9.8 पंचायत की माप पुस्तिकाओं के रख-रखाव में पाई गई विविध अनियमितताओं बारे।

हि०प्र० पंचायती राज ((वित्त, बजट, लेखे, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के चैप्टर-11 के नियम 101 (ग) के अनुसार तकनीकी सहायकों की माप पुस्तिकाओं को कनिष्ट अभियंता द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जाना अनिवार्य है।

ग्राम पंचायत के तकनीकी स्तर पर करवाए गए निर्माण कार्यों की माप पुस्तिकाओं के अवलोकन में पाया गया कि यह उक्त नियमानुसार कनिष्ट अभियंता द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं की गई थी इसके अतिरिक्त माप पुस्तिका में तकनीकी सहायक द्वारा सामग्री खपत विवरण तैयार नहीं किया गया था जोकि न केवल अनुचित हैं अपितु इसके अभाव में यह ज्ञात करना जटिल हो जाता है कि वास्तव में कितनी सामग्री किसी कार्य विशेष हेतु क्रय की गई कितनी उपभोग की तथा कितनी शेष बची? इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्या 08 दिनांक 06-08-2024 के प्रत्युत्तर में कहा गया कि भविष्य में उक्त अनियमितताओं की पुनरावृत्ति नहीं की जाएगी। उत्तर संतोषजनक नहीं हैं उक्त अनियमितताओं के सन्दर्भ में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवाया जाये।

9.9 सयुंक हस्ताक्षर के बिना ही राशि ₹9.17 लाख का अनियमित भुगतान करने बारे।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम **49(1)(2)** के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा भुगतान हेतु ग्राम पंचायत प्रधान व सचिव दोनों द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित किया जाना जरुरी है।

ग्राम पंचायत के नमूना अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत प्रधान द्वारा एकल हस्ताक्षर से ही (संलग्न परिशिष्ट "5") राशि ₹916817/- भुगतान किये गए थे जोकि न केवल उक्त नियमों की स्पष्ट अवहेलना है अपितु यह संदिग्ध भी प्रतीत होता

है जिसके अंतर्गत राशि के दुर्विनियोजन की सम्भावना को भी नहीं नकारा जा सकता है एवं न ही किये गए भुगतानों की सत्यता व प्रमाणिकता की पुष्टि नहीं की जा सकी।

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-06 दिनांक 06-08-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव ने कहा कि, भविष्य में नियमानुसार संयुक्त हस्ताक्षर उपरान्त ही बिलों का भुगतान किया जायेगा। उत्तर संतोषजनक नहीं है। अत: नियमविरुद्ध किये गए भुगतानों को न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत कार्रवाई से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

9.10 राशि ₹9.17 लाख के क्रय स्टोर/स्टॉक को स्टॉक रजिस्टर में इन्द्राज न करना एवं पंचायत के स्टॉक रजिस्टर के रख-रखाव में पाई गई विविध अनियमिताओं बारे।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के **चैप्टर-8 नियम 69 के अनुसार** सारा स्टोर (सामान) जब प्राप्त किया जाता है ,उसका यथास्थिति, परिक्षण, गणना, माप या तोल किया जायेगा और तुरंत स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्ट किया जायेगा एवं नियम 70 से 72 में वर्णित विभिन्न नियमों की अनुपालना आवश्यक है।

ग्राम पंचायत द्वारा अन्य अनुदानों हेतु संधारित स्टॉक रजिस्टर के अवलोकन में पाया गया कि, पंचायत द्वारा संलग्न परिशिष्ट "5" के अनुसार राशि ₹916817 के स्टोर/स्टॉक को स्टॉक रजिस्टर में इन्द्राज नहीं किया गया था जोकि अनुचित है। इसके अतिरिक्त पंचायत द्वारा स्टोर/स्टॉक की प्राप्ति, उसे जारी करने, उसका भण्डारण करने एवं स्टोर के लेखे उक्त नियमानुसार नहीं रखे गए थे। स्टोर को जारी करने हेतु मांगपत्र, प्राप्तकर्ता की अभीस्वीकृति/हस्ताक्षर के बिना प्राप्त स्टोर को एक साथ जारी करना एवं जारी करने की तिथि इत्यादि भी अंकित न होना, प्राप्त स्टोर/स्टॉक का परिक्षण, गणना माप-तोल एवं स्टेशनरी स्टॉक रजिस्टर का संधारण न करना न केवल उक्त नियमों की स्पष्ट अवहेलना हैं अपितु इससे क्रय स्टोर/स्टॉक की दुर्विन्योजन कीसम्भावना को भी नहीं नकारा जा सकता है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या-06 दिनांक 06-08-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव, द्वारा सूचित किया कि स्टोर/स्टॉक के भंडारण, जारी करने के सम्बन्ध में भविष्य में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। चूँकि यह न केवल नियमविरुद्ध है अपितु स्टॉक रजिस्टर के रख-रखाव में पाई विविध अनियमितताओं के दृष्टिगत से सामग्री विशेष के दुरूपयोग कीसम्भावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता। अत: नियमविरुद्ध अपनाई गई इस कार्यप्रणाली को न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाये तदानुसार कृत कार्रवाई से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

9.11 मनरेगा मटेरियल व वर्क रजिस्टर के संधारण में पाई गई विविध अनियमितताओं बारे

ग्राम पंचायत के मनरेगा ऑनलाइन मटेरियल रजिस्टर के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा मनरेगा अनुदान के तहत वित्तीय वर्षो 2022-2023 एवं 2023-2024 के दौरान कुल ₹953822 का स्टोर/स्टॉक क्रय किया गया था परन्तु उक्त ऑनलाइन रजिस्टर में क्रय स्टोर/स्टॉक को तकनीकी सहायक द्वारा न तो सत्यापित किया गया था और न ही इसके अथशेष, अन्तशेष तथा स्टॉक रजिस्टर प्रविष्टि का विवरण भरा गया है इसके अतिरिक्त मनरेगा ऑनलाइन वर्क रजिस्टर के अवलोकन में पाया गया कि इसमें कार्य पूर्ण होने की वास्तविक तिथि को नहीं भरा जा रहा है जोकि न केवल नियमानुसार अनुचित है अपितु इसके अभाव में स्टोर/स्टॉक के दुर्विन्योजन व कार्य में किसी प्रकार के अनिधिकृत समायोजन प्रविष्टि की सम्भावना को भी नहीं नकारा जा सकता है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या-06 व 11 दिनांक 06,07-06-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव, द्वारा सूचित किया कि, इस सम्बन्ध में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। यह एक गम्भीर अनियमितता है जोकि उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष तौर से लाई जाती है। अत: नियमविरुद्ध अपनाई गई इस कार्यप्रणाली को न्यायोचित

ठहराया जाये अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाये तदानुसार कृत कार्रवाई से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

9.12 मनरेगा के अंतर्गत किये भुगतानों के Fund Transfer Orders को प्रस्तुत न करना।

ग्राम पंचायत के नमूना अंकेक्षण में मनरेगा के अंतर्गत किये गए भुगतान के FTOs (fund transfer orders) को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे कि यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि जो बिल पंचायत द्वारा अंकेक्षण में प्रस्तुत किये गए हैं वास्तव में उन्ही को भुगतान किया गया है।

इस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 06 दिनांक 06-08-2024 को सचिव को उक्त FTOs को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने हेतु आग्रह किया, जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा बताया कि मनरेगा भुगतानों के FTOs पंचायत में उपलब्ध नहीं है इस कारण यह अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये जा सकते। उत्तर संतोषजनक नहीं है अत: FTOs का पंचायत में न पाया जाना को न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

9.13 राशि ₹2.74 लाख के मस्ट्रोलों के भुगतान में पाई गई वित्तीय व अन्य विविध अनियमितताओं बारे।

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 93(क) एवं अधिनियम 1994 की धारा 23 के अधीन गठित संकर्म समिति एवं नियम 108 के अनुसार सतर्कता समिति पंचायत द्वारा निष्पादित निर्माण कार्यों का निरीक्षण करेगी। पंचायत भरमौर के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि, पंचायत द्वारा अग्रतालिका के विवरणनुसार कुल राशि ₹273635/- का व्यय किया गया। जिसमें निम्नलिखित अनियमिततायें पाई गई :-

1. मस्टरोल पर सतर्कता व निर्माण समिति के हस्ताक्षर न करवाना।
2. प्रधान व सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर के बिना भुगतान करना।

<-102

3. मस्टरोल में दर्ज कुल मजदूरों की उपस्थिति को प्रधान द्वारा सत्यापित न करना।

4. मस्टरोल में अन्य विवरण जैसे: प्रस्ताव संख्या, दिनांक ,कार्य का नाम , कार्य शुरू करने एवं समाप्ति की तिथि इत्यादि का विवरण अपूर्ण पाया जाना।

क्र०स०/ अनुदान	निर्माण कार्य	मस्ट्रोल संख्या	वाउचर/ दिनांक	राशि
1.15th FC	कार्य: शमशान घाट गोसन	13206/11	08/ 30-05-2022	102451
2.15th FC	कार्य: पनिहार सेरी	13018	11/ 24-12-2022	59812
3.15th FC	कार्य : पनिहार गोसन	13299/02	35 & 36/ 04-01-2024	111372
			कुल योग	₹273635

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 10 दिनांक 07-08-2024 के द्वारा उक्त प्रकरण को सचिव, के ध्यानार्थ वस्तुगत स्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया। जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा उपरोक्त तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त कहा कि, उक्त वर्णित अनियमितताओं की पुनरावृत्ति भविष्य में नहीं की जायेगी तथा कृत कार्रवाई से अवगत करवा दिया जायेगा। अत: इस सम्बन्ध में आगामी आवश्यक कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवाया जाये।

10.1 रोकड़बहियों का रख-रखाव/संधारण में पाई गई विविध अनियमितताओं बारे।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 7 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार रोकड़बहियों का रख-रखाव किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत भरमौर के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा समस्त अनुदानों व स्व-स्त्रोतों की रोकड़बहियों का संधारण ऑनलाइन व मैन्युअल दोनों

माध्यम से किया जा रहा है जबकि विभाग के दिशा-निर्देशों अनुसार रोकड़बहियों का संधारण e-ग्राम स्वराज में ही किया जाना अपेक्षित है। परन्तु पंचायत द्वारा ऑनलाइन संधारित रोकड़बहियों को अंकेक्षण में सत्यापन हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। अंकेक्षण में प्रस्तुत मैन्युअल संधारित रोकड़बहियों का रख-रखाव उचित तरीके से नहीं किया गया था इसमें कटिंग, ओवर राइटिंग के साथ-साथ न तो अथशेष व अन्तशेष लिए गए हैं और न ही इसमें दर्ज/प्रविष्ट Transctions के प्रगतिशील योग किये गए हैं जोकि न केवल लेखांकन नियमों के विरुद्ध हैं अपितु इससे पंचायत द्वारा प्रस्तुत परिशिष्ट 1 व 2 में लिए अथशेषों व अंतशेषों को सत्यापित किया जा सका।

ऐसी स्थिति में बैंक से किये जा रहे लेन-देन पर भी कोई नियन्त्रण नहीं रह जाता तथा रोकड़बही, बैंक खाते में उपलब्ध शेष राशि बारे में कोई विश्वसनीय सूचना उपलब्ध नहीं करवाती। इसके अतिरिक्त ऐसी स्थिति में पंचायत द्वारा बनाई जा रही व उपलब्ध करवाई गई मासिक आय-व्यय तालिका, वार्षिक वित्तीय विवरण तथा संतुलन पत्र की मदें भी विश्वसनीय नहीं रह जाती तथा इसमें अनिधिकृत समायोजन की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता।

इस सन्दर्भ में जारी अधियाचना संख्या-06 दिनांक 06-08-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा कहा गया कि, समस्त रोकड़बहियों का संधारण मेनुअल माध्यम से किया जा रहा है एवं ऑनलाइन संधारित रोकड़बहियाँ अपूर्ण होने के कारण वह लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की जा सकी मेनुअल संधारित रोकड़बहियों में अंतशेष, अथशेष व प्रगतिशील योग नहीं किया गए हैं एवं परिशिष्टों में दर्शाए गये अथशेष व अन्तशेष पंचायत की परीक्षा संतुलन सूची व बैंक पासबुक से लिया गए हैं। अतः भविष्य में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

104

10.2 पंचायत के वार्षिक लेखा खातों, आय-व्यय विवरणों एवं बैलेंस शीट इत्यादि को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारे।

ग्राम पंचायत भरमौर के नमूना अंकेक्षण में पंचायत द्वारा संधारित किये जाने वाले आवश्यक अभिलेखों यथा वार्षिक प्राप्ति एवं भुगतान खाता, ट्रायल बैलेंस, आय एवं व्यय विवरण, बैलेंस शीट एवं अन्य वित्तीय विवरणों को प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे कि, पंचायत के उक्त लेखा खातों/अभिलेखों का अंकेक्षण के दौरान सत्यापन व प्रमाणीकरण नहीं किया जा सका।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या-11 दिनांक 07-08-2024 द्वारा पंचायत सचिव से उक्त वित्तीय विवरणों को लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करने के सम्बन्ध में अपना पक्ष रखने को कहा गया जिसके जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा बताया गया कि उक्त समस्त अभिलेख/वित्तीय विवरण पंचायत में उपलब्ध नहीं है जिस कारण यह अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया जा सके। उत्तर संतोषजनक नहीं है।

अत: उक्त अभिलेखों/वित्तीय विवरणों का संधारण न करना अथवा उनका पंचायत रिकॉर्ड में उपलब्ध न होना न केवल नियमानुसार अनुचित है अपितु यह आपत्तिजनक भी है। इस सम्बन्ध में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

10.3. खाता "क" तथा "ख" को अलग से नियमानुसार संधारित न करने बारे।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सम्परीक्षा, संकर्म, कराधान एवं भत्ते) नियमावली 2002 के **नियम 4** के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा अपनी आय (स्व-स्त्रोत) के लिए खाता "क" तथा अनुदानों और विशेष प्रयोजनों के लिए खाता "ख" अलग-अलग से खोले जाने अपेक्षित हैं।

वितीय वर्ष 2022-23 से 2023-24 के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा अपनी आय (स्व-स्त्रोत) के खाते को पृथक नहीं रखा गया है। अपितु अन्य अनुदानों जैसे Minor 2515, MPLAD, व 3rd/5th स्टेट का दो बैंक खातों एवं एक ही रोकड़बही में संधारण किया जा रहा है। जोकि उक्त नियम की स्पष्ट अवहेलना है।

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-11 दिनांक 07-08-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया कि, पंचायत के स्व-स्त्रोत आय व्यय के लिए पृथक बैंक खाता खुलवा लिया जाएगा। उत्तर सन्तोषजनक नहीं है। अतः इस सम्बन्ध में आगामी आवश्यक कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

10.4 महत्वपूर्ण रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण नियमानुसार न करने बारे।

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के **नियम 29 से 31** व हिमाचल प्रदेश पंचायती राज सामान्य नियम के **नियम 34** के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख-रखाव या तो अपूर्ण था अथवा निर्धारित प्रपत्र पर नियमानुसार संधारित नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है।

क्र०	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	संदर्भित नियम	टिप्पणी
1.	बजट प्राक्कलन	11	37	अपूर्ण
2.	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	09	30	संधारित नहीं
3.	मासिक बैंक समाधान विवरणी	----	15(1)	संधारित नहीं
4.	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)	संधारित नहीं
5.	वर्गीकृत सार	08	29(4)	संधारित नहीं
6.	निर्माण कार्य रजिस्टर	-----------	103	संधारित नहीं
7.	तकनीकी जाँच पड़ताल व मंजूरी आकलन	31	95(1)	संधारित नहीं
8.	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72 (1) AB	संधारित नहीं
9.	बही खाता (Ledger)	07	29 (1 से 4)	संधारित नहीं
10.	बिल रजिस्टर	13	48	संधारित नहीं
11.	ग्राम पंचायत का स्टॉक/सामग्री रजिस्टर	01 व 06	34	अपूर्ण
12.	अंकेक्षण प्रतिवेदन/प्रतिवेदनों रजिस्टर	30	89	संधारित नहीं

इस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या-11 दिनांक 07-08-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा कहा गया कि, भविष्य में विहित रजिस्टरों का रख-रखाव

नियमानुसार किया जायेगा। अतः भविष्य में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

11. भौतिक सत्यापन (Physical Verification) न करवाने बारे।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण,सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के **नियम 73** के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

परन्तु ग्राम पंचायत भरमौर की लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन अंकेक्षण अवधि में एक बार भी नहीं किया गया। जिसके बिना वाउचर/बिल विशेष के तहत खरीदी गई सामग्री की भौतिक रूप में उपलब्धता एवं उसकी वर्तमान स्थिति का पता नहीं लगाया जा सकता। समय-समय पर स्टोर/स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न होने से सामग्री विशेष के दुरूपयोग की सम्भावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता। यह एक गम्भीर अनियमितता है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या-11 दिनांक 07-08-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों की पुष्टि उपरान्त कहा कि, भविष्य में क्रय स्टोर/स्टॉक का भौतिक सत्यापन करवा कर विभाग को अवगत करवा दिया जायेगा। उत्तर तकर्संगत प्रतीत नहीं होता है क्योंकि गत अवधि में क्रय किये सामान के भौतिक सत्यापन के अभाव में उसके दुरूपयोग की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता। अतः मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

12. **लघु आपत्ति विवरणिका:-** लघु आपत्ति विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई है। अपितु समय-समय पर चर्चा के दौरान सभी पहलुओं, नियमों/प्रावधानों पर प्रकाश डाला गया।

13. **निष्कर्ष** :- उक्त अनियमितताओं के दृष्टिगत न केवल लेखों के सुधार अपितु पंचायत राजस्व का अकुशल संग्रह तथा नियमानुसार कार्रवाई न करके वित्तीय व विविध प्रक्रियात्मक चूक सम्बन्धी अनियमितताओं की पुनरावृत्ति की जा रही है । यह बात उच्चाधिकारियों के समक्ष विशेष तौर पर इस आशय से लाई जाती है कि, उक्त अनियमितताओं के दृष्टिगत पंचायत के गहन जांच की नितांत आवश्यकता है ताकि किसी भी प्रकार से सरकारी धन के दुर्विनियोजन की सम्भावना को पूर्णत: नकारा जा सके।

24 SEP 2024

(कृष्ण लाल नेगी) 24.9.24
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2626670

का0/वा0

4568 – 4572

पृष्ठांकन संख्याः– फिन (एल0ए0) एच (पंच) 15 (7) 72/2021 खण्ड–1 दिनांक शिमला–09

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3 जिला पंचायत अधिकारी चम्बा, जिला चम्बा, हि0प्र0।
4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड भरमौर, जिला चम्बा हि0प्र0।
पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत भरमौर, विकास खण्ड भरमौर, जिला चम्बा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

24 SEP 2024

(कृष्ण लाल नेगी) 24.9.24
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2626670

का0/वा0

परिशिष्ट "1" पैरा संख्या 4.1 में संदर्भित

Financial Position of GP Bharmour for the Year 2022-2023 To 2023-2024

1. Own Source (Sabha Fund & Jatar Mela)

FINANCIAL YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2022-23	1282804.00	5829166.00	7111970.00	5396811.00	1715159.00
2023-24	1715159.00	6551552.00	8266711.00	6561682.00	1705029.00

2. Grants in aid

FINANCIAL YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2022-23	9843777.96	7437379.41	17281157.37	7308965.41	9972191.96
2023-24	9972191.96	5317945.38	15290137.34	7080180.38	8209956.96
					9914985.96

नोट: प्रमाणित किया जाता है कि ग्राम पंचायत भरमौर , विकास खंड भरमौर में उपरोक्त निधियों के अंतर्गत चार रोकड़ बाहिए संधारण किया जा रहा है ।

1+2 (1714623+8202776.96)

Closing Balance as per Cash Books		9914985.96
losing Balance as per Bank Passboo		9044211.96
Difference	(Less in Bank PassBook	870774.00

सचिव
ग्राम पंचायत भरमौर
विकास खण्ड भरमौर

परिशिष्ट "2" पैरा संख्या 4 में सन्दर्भित

Financial Position Grants in Aids of GP Bharmour for the Year to 2022-2023 To 2023-2024

Sr.No	Particulars	Year	Opening	Receipt	Total	Expenditure	Closing
1	MGNREGA	2022-23	0.00	4108131.41	4108131.41	4108131.41	0.00
		2023-24	0.00	4312580.38	4312580.38	4312580.38	0.00
2	15TH FC	2022-23	4087942.00	2317337.00	6405279.00	708247.00	5697032.00
		2023-24	5697032.00	395173.00	6092205.00	1471623.00	4620582.00
3	14th FC	2022-23	1447747.00	47311.00	1495058.00	1271345.00	223713.00
		2023-24	223713.00	861.00	224574.00	179387.00	45187.00
4	(General) Minor NUCLES 2515/3rd/5th	2022-23	4308088.96	964600.00	5272688.96	1221242.00	4051446.96
		2023-24	4051446.96	609331.00	4660777.96	1116590.00	3544187.96

सचिव
ग्राम पंचायत भरमौर
विकास खण्ड भरमौर

परिशिष्ट– "3"

ग्राम पंचायत भरमौर में स्टोरस्टॉक के क्रय की औपचारिकताओं में पाई गई विविध / अनियमितताओं बारे। (पैरा संख्या 9.4-में संदर्भित)

Sr.No. Head	Vr. No./ Date	Material	Qty./rate	Supplier	Amount	Remarks
1. MGREGA	Nil/ 22-05-22	Stone	8m3@1900	M/S Sohan Lal, VPO Pranghala, Bharmour	15200	
2. MGREGA	Nil/ 22-05-22	Interlock Tiles 60mm	7920nos@ 28	M/S Madan Lal, PO Badgran, Bharmour	221760	
3. MGREGA	Nil/ 22-05-22	Sand Agg.	-	M/S Madan Lal, PO Badgran, Bharmour	283249	
4.Jatar Own Sou.	29/ 02-09-22	Towel,bed sheets & Clothes etc.	200@680	M/S Hari Saran & Sons, Bharmour, Chamba	217772	
5.Jatar Mela	30/ 02-09-22	Hawan Samagree etc.	-	M/S Pandit Swaroop Bharmour, Chamba	34206	
6. Jatar Own Sou.	31/ 02-09-22	Photo	8x12 150nos@200 16x24 15 nos@1200	M/S M.K. Photo Studio, Bharmour Chamba	48000	
7. Jatar Own Sou.	32/ 02-09-22	Showl, Loi Mufler. Cap	-	M/S Chamunda Shawls, Bharmour	34200	
8. Jatar Own Sou	70/16-09-2023	Vollybal, badminton etc.	-	M/S Karnail Stationery Bharmour, Chamba	62430	
				Total	**916817**	

सचिव
ग्राम पंचायत भरमौर
विकास खण्ड भरमौर

— 111 —

परिशिष्ट "4" पैरा संख्या 8.2 से 8.3 में सन्दर्भित

DETAIL OF VENDER/SUPPLIER IN R/O GP BHARMOUR FROM WHICH PURCHASE WITHOUT "X,W" FORM & NEITHER ROYALITY DEDUCTED & PROBABALE LOSS OF GST 01-04-2022 TO 31-03-2024

SR. NO.	NAME OF VENDER/ SUPPLIER	GRANTS/ HEAD	VOUCHER/BILL DATE	NAME OF MATERIAL	QTY. M3	QTY. TONNE	AMOUNT PAID	RATE OF ROYALITY	ROYLITY NOT PAID	AMOUNT TO BE PAID	GST PAID ON BILL
1	M/S Sohan Lal	MGREGA	02/	Stone	8.00	17.92	15200	60	1075.20	14476.19	723.81
	PO Pranghala, Bharmour		22-05-2022					60	0.00	0.00	0.00
2	M/S Madan Lal	MGREGA	26 & 27	Sand	6.62	10.59	32438	60	635.52	30893.33	1544.67
	PO Badgran, Bharmour		22-05-2022	Aggre.	13.24	25.69	51636	60	1541.14	49177.14	2458.86
3	M/S Madan Lal	MGREGA	31 & 31	Sand	18.83	30.13	80592	60	1807.68	76754.29	3837.71
	PO Badgran, Bharmour		22-05-2022	Aggre.	5.58	10.83	20813	60	649.51	19821.90	991.10
4	M/S Madan Lal	MGREGA	28 & 29	Sand	8.00	12.80	39520	60	768.00	37638.10	1881.90
	PO Badgran, Bharmour		22-05-2022	Aggre.	15.00	29.10	58950	60	1746.00	56142.86	2807.14
5	M/S Om Raj PO Gharer	15th FC	04 & 05/	Aggre.	10.00	19.40	39000	80	1552.00	37142.86	1857.14
	Tehsil Bharmour, Chamba		28-04-2022	Sand	5.00	8.00	24500	80	640.00	23333.33	1166.67
7	Sh.Kush Kumar, Seri	15th FC	12/24-12-222	Sand	5.67	9.07	30000	80	725.76	28571.43	1428.57
8	M/S Madan Lal	15th FC	16,18,19 & 20	Aggre.	7.00	13.58	31500	80	1086.40	30000.00	1500.00
	PO Badgran, Bharmour		06-02-2023	Stone	36.00	80.64	80000	80	6451.20	76190.48	3809.52
9	M/S Madan Lal	15th FC	21 & 22/	Sand	6.00	9.60	29400	80	768.00	28000.00	1400.00
	PO Badgran, Bharmour		06-02-2023	Aggre.	3.00	5.82	11700	80	465.60	11142.86	557.14
				Stone	7.50	16.80	19650	80	1344.00	18714.29	935.71
10	Sh. Sanjeev Kumar	15th FC	33/	Stone	10.00	22.40	25000	80	1792.00	23809.52	1190.48
			04-01-2024	Aggre.	3.44	6.67	18060	80	533.89	17200.00	860.00
				Sand	5.10	8.16	29325	80	652.80	27928.57	1396.43
11	M/S Sohan Lal	15th FC	41/	Sand	8.00	12.80	39200	80	1024.00	37333.33	1866.67
	PO Pranghala, Bharmour		20-03-2024	Aggre.	16.00	31.04	76800	80	2483.20	73142.86	3657.14
12	Sh. Ravinder Singh	15th FC	44/27-03-24	Stone	6.50	14.56	22750	80	1164.80	21666.67	1083.33
13	M/S Madan Lal	14th FC	01-06/	Sand	25.00	40.00	122500	80	3200.00	116666.67	5833.33
	PO Badgran, Bharmour		01-04-2022	Aggre.	17.00	32.98	66510	80	2638.40	63342.86	3167.14
				Stone	25.00	56.00	46250	80	4480.00	44047.62	2202.38
13	Sh. Virender Kumar	14th FC	27 & 28/	Aggre.	7.92	15.36	35000	80	1229.18	33333.33	1666.67
			29-03-2023	Stone	8.00	17.92	19200	80	1433.60	18285.71	914.29
				Sand	2.83	4.53	20000	80	362.24	19047.62	952.38
14	Sh. Munna Ram	14th FC	29 & 30/	Sand	5.00	8.00	27100	80	640.00	25809.52	1290.48
			29-03-2023	Aggre.	10.80	20.95	51840	80	1676.16	49371.43	2468.57
								TOTAL	44566.28	1108984.76	55449.24

Remarks:

1. All Figures are taken up to 2 Decimal
   Rate of Royalty is taken Rs60/80 per Tonne as Per Second Schedule of Deptt. Of Industry & Mining
   Conversion Factor
2. **A. From Square Feet to Cubic Meter M3**
   35.31 Sq.Ft. = 1 Cubic Meter ($M^{3)}$ Common to all items Sand, Stone & Aggregate
3. **B. From Cubic Meter ($M^{3)}$ to Tonne**
   One Cubic Meter ($M^{3)}$ Sand 1.60
   One Cubic Meter ($M^{3)}$ Aggregate Mix 1.94
   One Cubic Meter ($M^{3)}$ Aggregate 1.46
   One Cubic Meter ($M^{3)}$ Stone 2.24
4. All items Sand, Stone & Aggre. **average weight** are taken for conversion while cubic meter to tonne.
5. As per quatation terms and condition Rate are inclusive of all Taxes but it is not cleared wether it is paid or nc

सचिव
ग्राम पंचायत भरमौर
विकास खण्ड भरमौर

परिशिष्ट– "5"

ग्राम पंचायत भरमौर, विकास खण्ड भरमौर, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश संयुक्त हस्ताक्षर के बिना अनियमित भुगतान करने एवं स्टॉक रजिस्टर में इन्द्राज न होने बारे (पैरा संख्या ~~9.2~~ में (१.१ व १.१० में) संदर्भित)

Sr.No. Head	Vr. No./ Date	Material	Qty./rate	Supplier	Amount	Remarks
1.MGREGA	Nil/ 22-05-22	Stone	8m3@1900	M/S Sohan Lal, VPO Pranghala, Bharmour	15200	**Joint Sign & Stock Entry**
2.MGREGA	Nil/ 22-05-22	Interlock Tiles 60mm	7920nos@ 28	M/S Madan Lal, PO Badgran, Bharmour	221760	**Joint Sign & Stock Entry**
3.MGREGA	Nil/ 22-05-22	Sand Agg.	-	M/S Madan Lal, PO Badgran, Bharmour	283249	**Joint Sign & Stock Entry**
4.Jatar Own Sou.	29/ 02-09-22	Towel,bed sheets & Clothes etc.	200@680	M/S Hari Saran & Sons, Bharmour, Chamba	217772	**Joint Sign & Stock Entry**
5.Jatar Mela	30/ 02-09-22	Hawan Samagree etc.	-	M/S Pandit Swaroop Bharmour, Chamba	34206	**Joint Sign & Stock Entry**
6. Jatar Own Sou.	31/ 02-09-22	Photo	8x12 150nos@200 16x24 15 nos@1200	M/S M.K. Photo Studio, Bharmour Chamba	48000	**Joint Sign& Stock Entry**
7. Jatar Own Sou.	32/ 02-09-22	Showl, Loi Mufler. Cap	-	M/S Chamunda Shawls, Bharmour	34200	**Joint Sign& Stock Entry**
8. Jatar Own Sou	70/16-09-2023	Vollybal, badminton etc.	-	M/S Karnail Stationery Bharmour, Chamba	62430	**Joint Sign& Stock Entry**
				Total	916817	

सचिव
ग्राम पंचायत भरमौर
विकास खण्ड भरमौर

परिशिष्ट "6" पैरा संख्या 8.4 में सन्दर्भित

Statement Showing Detail of Payment TDS Not Deducted in r/o Gram Panchayat Bharmour, Chamba H.

SR. NO	VOUCHER NO./DATE	NAME OF FUND	PARTICULAR/ DETAIL OF PARTY	DISCRIPTION OF ITEM	AMOUNT	TDS @2 %	Remarks
1	03/23-08-2022	Own Sources	M/S Sunita Devi	Sanitatoion service during local fair	260000.00	5200.00	IT Act Section 194C
2	49/08-09-2022	Own Sources	M/S Anu Kumar Tea Stall, Bharmour	Catering Lunch,Breakfast, Dinner	67900.00	1358.00	IT Act Section 194C
3	52/08-09-2022	Own Sources	M/S Balwan Singh Hotel & Restaurent, Bharmour	Boarding & Lodging	178540.00	3570.80	IT Act Section 194C
4	16/16-09-2023	Own Sources	M/S Sunita Devi	Sanitatoion service during local fair	200000.00	4000.00	IT Act Section 194C
5	118/29-09-23	Own Sources	M/S Sunita Devi	Sanitatoion service during local fair	140000.00	2800.00	IT Act Section 194C
6	14/02-09-2022	Own Sources	Sh. Ishant Bhardwaj Folk Singer, Chamba	Singing Programme	70000.00	1400.00	IT Act Section 194C & 194J
7	17/02-09-2022	Own Sources	Sh. Kalyan Singh Folk Singer Chamba	Singing Programme	70000.00	1400.00	do
8	22/02-09-2022	Own Sources	Sh. Suneel Rana Folk Singer Kangra	Singing Programme	120000.00	2400.00	do
9	33/16-09-2023	Own Sources	Sh. Kamal Nehriya Himachali Folk Singer	Singing Programme	40000.00	800.00	do
10	55/16-09-2023	Own Sources	Sh. Ishant Bhardwaj Folk Singer, Chamba	Singing Programme	70000.00	1400.00	do
11	81/16-09-2023	Own Sources	Sh. Kalyan Singh Folk Singer Chamba	Singing Programme	70000.00	1400.00	do
12	82/16-09-2023	Own Sources	Sh. Suneel Rana Folk Singer Kangra	Singing Programme	80000.00	1600.00	do
13	90-92/16-09-23	Own Sources	Sh. Desh Raj Tailor Bharmour,Chamba	Stiching of Flag,tent, Cap etc.	40070.00	801.40	IT Act Section 194C
14	96/29-09-2023	Own Sources	Sh. Rajeev Kumar Folk Singer Chamba	Singing Programme	50000.00	1000.00	do
15	07/06-09-2023	Own Sources	Sr. Advocate Sh. Ashok Sharma	Counsil Fee legal caharges	107000.00	10700.00	IT Act Section 194J
				Total	1563510.00	39830.20	

सचिव
ग्राम पंचायत भरमौर
विकास खण्ड भरमौर

— 114

परिशिष्ट "7" पैरा संख्या 9.3 में सन्दर्भित

Statement Showing Detail of Payment not made on Proper/Tax Bill in r/o GP Bharmour, Chamba

SR. NO	VOUCHER NO./DATE	NAME OF FUND/GRANT	PARTICULAR/ DETAIL OF SUPPLIER	DISCRIPTION OF ITEM	AMOUNT	Remarks
1	Nil/22-05-2022	MGREGA	M/S Sohan Lal VPO Pranghala, Bharmour	Stone 8m3@1900	15200.00	Performa bill
2	Nil/22-05-2022	MGREGA	M/S Madan Lal,PO Badgran Chamba	Sand 18.83m3@4280 Agg. 5.58m3@3730	101405.00	do
3	Nil/22-05-2022	MGREGA	M/S Madan Lal,PO Badgran, Chamba	Interlock Tiles 7920Nos@28	221760.00	do
4	04 & 05/28-04-22	15th FC	M/S OM RAJ PO Gharer, Bharmour	Sand 5m3@4900 Agg. 10m3@3900	63500.00	Cash Memo
5	12/24-12-2022	15th FC	Sh. Kush Kumar, Seri	Sand 200ft@150	30000.00	Plain paper
6	33/04-01-2024	15th FC	Sh.Sanjeev Kumar Vill. Gosan, Bharmour	Sand 5.10m3@5750 Agg. 3.44m3@5250 Stone 10m3@2500	72385.00	do
7	27,28/29-03-23	14th FC	Sh. Virender Kumar	Sand 2.83m3@7067 Agg. 7.92m3@4419 Stone 8m3@2400	74200.00	do
8	29,30/29-03-23	14th FC	Sh. Munna Ram	Sand 5m3@5420 Agg. 10.80m3@4800	78200.00	do
9	03 & 56/23-08-2022	Own Sources	Smt. Sunita Devi	Santioation Service during local fair	260000.00	Cash Memo
10	16/16-09-2023	Own Sources	Smt. Sunita Devi	Santioation Service during local fair	200000.00	
11	03-06/08-09-2023	Own Sources	M/S Pathak Tent House Jalandhar Punjab	162bNos Stall in local fair @4650		
12	05/23-08-2022	Own Sources	M/S Prithvi Bedi Illumination Ind. Tarn	Lighting,betufication of Choursi campus during local	220000.00	do
13	29/02-09-2022	Own Sources Jatar Mela	M/S Hari Sharan & Sons Bharmour, Chamba	Clothes, Towels, Bed sheets Etc.	217772.00	do
14	26/16-09-2023	Own Sources Jatar Mela	M/S Hari Sharan & Sons Bharmour, Chamba	Clothes, Towels, Bed sheets Etc.	178065.00	do
15	30/02-09-2022	Own Sources Jatar Mela	M/S Padit Swaroop Bharmour, Chamba	Hawan Samgree	34206.00	do
16	31/02-09-2022	Own Sources Jatar Mela	M/S M.K. Photo Studio, Bharmour Chamba	8x12 150nos@200 16x24 15 nos@1200	48000.00	do
				Total	1814693.00	

सचिव
ग्राम पंचायत भरमौर
विकास खण्ड भरमौर

— 113 —

परिशिष्ट "8" पैरा संख्या 7.3 में सन्दर्भित

ग्राम पंचायत भरमौर का विवाह पंजीकरण फ़ीस का विवरण –

क्रम	नाम	विवाह की तिथि	पंजीकरण की तिथि	वसूली योग्य राशी	वास्तविक वसूली राशी	कम वसूली राशी
1	सिधार्थ	09/05/2022	13/06/2022	400	200	200
2	विकास शर्मा	06/06/2022	12/07/2022	400	00	400
3	विकास कुमार	08/07/2022	16/08/2022	400	200	200
4	राम कुमार	20/07/2022	22/08/2022	50	25	25
5	सोहन सिंह	24/07/2022	29/08/2022	50	25	25
6	ऋषि कुमार	04/08/2022	13/09/2022	400	200	200
7	मनोज कुमार	08/07/2022	14/09/2022	400	200	200
8	संदीप कुमार	20/07/2022	14/09/2022	50	25	25
9	राकेश कुमार	04/08/2022	20/09/2022	400	200	200
10	रणजीत सिंह	08/07/2022	22/09/2022	400	200	200
11	सन्नी कुमार	09/08/2022	14/10/2022	50	25	25
12	सुमित कुमार	26/09/2022	13/12/2022	400	00	400
13	सौरव कुमार	04/12/2022	24/02/2023	400	200	200
14	गौरव शर्मा	10/05/2023	21/07/2023	400	200	200
15	रिया देवी	07/07/2023	21/08/2023	400	200	200
16	नेहा ठाकुर	12/05/2023	12/08/2023	400	200	200
17	अमित शर्मा	23/06/2023	22/08/2023	400	200	200
18	गणेश कुमार	04/09/2023	26/10/2023	400	200	200
19	आवेश शर्मा	24/09/2023	30/10/2023	400	200	200
20	यस पाल	24/09/2023	16/11/2024	400	00	400
21	सूरज ठाकुर	28/11/2023	28/01/2024	400	200	200
22	अक्षय कुमार	06/02/2024	08/04/2024	400	200	200
			कुल	7400	3100	4300

सचिव
ग्राम पंचायत भरमौर
विकास खण्ड भरमौर